राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संचिका सं०: SHSB/MH/216/2018
पत्र सं०: 149 दिनांक 11/4/2020

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
बिहार।

विषयः मातृत्व–स्वास्थ्य सेवाएँ संबंधी दिशा–निर्देश के संबंध में।

प्रसंगः SHSB/AOCell/01/2020(P-I)/37, दिनांक 03.04.2020

महाशया / महाशय,

उपयुर्क्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में उल्लेखित है कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना अतिआवश्यक है जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ्य हों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व COVID-19 वायरस संक्रमण से जूझ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। COVID-19 महामारी के कारण lock down किया गया है जिसके कारण सामान्य सेवाओं सहित संस्थागत प्रसव भी प्रभावित हुआ है। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं के गर्भावस्था तथा प्रसव के दौरान निर्बाध रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएः–

1. अस्पताल में आनेवाली सभी सामान्य गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसव पूर्व जाँच (ANC) COVID-19 के बचाव हेतु जारी दिशा– निर्देशों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए। आयरन, कैलशियम तथा एलबेण्डाजोल की (180 आयरन की गोली, 360 कैलशियम की गोली तथा 1 एलबेण्डाजोल की गोली) गोलियाँ सभी को दूसरी तिमाही से अवश्य दी जाए। High Risk Pregnancy वाली गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में ANC जाँच आदि हेतु भी 102 एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा दी जाए।
2. अगामी तीन माह अप्रैल 2020, मई 2020 एवं जून 2020 में जिन गर्भवती महिलाओं की Estimated Delivery Date (EDD) है, उनके प्रसव हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं को अनिवार्य रूप से चिन्हित कर, line list तैयार कर लिया जाए तथा EDD के एक सप्ताह पूर्व से लगातार प्रतिदिन सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या की जानकारी ली जाए तथा अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य संस्थानों पर लाकर प्रसव कराना सुनिश्चित किया जाए। ससमय उन्हें स्वास्थ्य संस्थान पर लाने तथा वापस ले जाने हेतु 102 एंबुलेन्स का उपयोग किया जाए। PHC/CHC/RH/SDH/DH पर संस्थागत प्रसव की सुविधा पूर्व की तरह सभी गर्भवती महिलाओं को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. आशा तथा आशा फैसिलिटेटर द्वारा COVID-19 से उत्पन्न परिस्थिति में गृह भ्रमण किया जा रहा है। गृह भ्रमण के दौरान उनके द्वारा सभी वैसी गर्भवती महिलाएँ जिनका EDD नजदीक है, social distancing एवं संक्रमण के रोकथाम के आवश्यक निदेश का पालन करते हुए गृह भ्रमण का निदेश दिया जाए तथा आवश्यकतानुसार उनके Institutional Delivery हेतु Plan कर स्वास्थ्य संस्थान को सूचित करने का निदेश दिया जाए।
4. किसी भी जटिल (e.g. Severe Anemia, PIH, GDM etc) प्रसव वाली महिलाओं को EDD के पूर्व से ही अस्पताल लाकर उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित किया जाए। सामान्य गभर्वती महिलाओं को आशा की सहायता से ANM द्वारा दूरभाष पर संपर्क स्थापित किया जाए और उन्हें ससमय स्वास्थ्य संस्थान पर प्रसव हेतु लाकर संस्थागत प्रसव कराया जाए।
5. COVID-19 की गंभीरता को देखते हुए Infection control Protocol का पालन करते हुए स्वास्थ्य केन्द्रों में सुरक्षित मातृत्व सेवाएँ प्रदान किया जाए एवं गर्भ निरोधक परामर्श अनिवार्य रूप से दिया जाए।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाषः 0612–2290328, फैक्सः 0612–2290322, वेबसाइटः www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

6. विदित हो कि मार्च–2020 के आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सरकारी संस्थाओं में संस्थागत प्रसव में कमी आई है। संस्थागत प्रसव में कमी के कारण मातृ–मृत्यु अनुपात एवं शिशु–मृत्यु दर बढ़ने की संभावना अधिक होती है, जो अब तक इस दिशा में किए जाने वाले सभी प्रयासों को विफल कर देगा।

अतः, उक्त के आलोक में आप सभी से अनुरोध है कि सभी गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जाँच (ANC) तथा संस्थागत प्रसव हेतु दिये गए दिशा–निर्देश का पालन करते हुए शत् प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार)

संचिका सं०: SHSB/MH/216/2018
पत्र सं०:.....दिनांक.....

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
बिहार।

विषयः मातृत्व–स्वास्थ्य सेवाएँ संबंधी दिशा–निर्देश के संबंध में।

प्रसंगः SHSB/AOCell/01/2020(P-I)/37, दिनांक 03.04.2020

महाशया / महाशय,

उपयुर्क्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में उल्लेखित है कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना अतिआवश्यक है जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ्य हों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व COVID-19 वायरस संक्रमण से जूझ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। COVID-19 महामारी के कारण lock down किया गया है जिसके कारण सामान्य सेवाओं सहित संस्थागत प्रसव भी प्रभावित हुआ है। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं के गर्भावस्था तथा प्रसव के दौरान निर्बाध रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएः–

1. अस्पताल में आनेवाली सभी सामान्य गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसव पूर्व जाँच (ANC) COVID-19 के बचाव हेतु जारी दिशा– निर्देशों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए। आयरन, कैलश्यिम तथा एलबेण्डाजोल की (180 आयरन की गोली, 360 कैलश्यिम की गोली तथा 1 एलबेण्डाजोल की गोली) गोलियाँ सभी को दूसरी तिमाही से अवश्य दी जाए। High Risk Pregnancy वाली गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में ANC जाँच आदि हेतु भी 102 एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा दी जाए।
2. अगामी तीन माह अप्रैल 2020, मई 2020 एवं जून 2020 में जिन गर्भवती महिलाओं की Estimated Delivery Date (EDD) है, उनके प्रसव हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं को अनिवार्य रूप से चिन्हित कर, line list तैयार कर लिया जाए तथा EDD के एक सप्ताह पूर्व से लगातार प्रतिदिन सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या की जानकारी ली जाए तथा अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य संस्थानों पर लाकर प्रसव कराना सुनिश्चित किया जाए। ससमय उन्हें स्वास्थ्य संस्थान पर लाने तथा वापस ले जाने हेतु 102 एंबुलेन्स का उपयोग किया जाए। PHC/CHC/RH/SDH/DH पर संस्थागत प्रसव की सुविधा पूर्व की तरह सभी गर्भवती महिलाओं को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. आशा तथा आशा फैसिलिटेटर द्वारा COVID-19 से उत्पन्न परिस्थिति में गृह भ्रमण किया जा रहा है। गृह भ्रमण के दौरान उनके द्वारा सभी वैसी गर्भवती महिलाएँ जिनका EDD नजदीक है, social distancing एवं संक्रमण के रोकथाम के आवश्यक निदेश का पालन करते हुए गृह भ्रमण का निदेश दिया जाए तथा आवश्यकतानुसार उनके Institutional Delivery हेतु Plan कर स्वास्थ्य संस्थान को सूचित करने का निदेश दिया जाए।
4. किसी भी जटिल (e.g. Severe Anemia, PIH, GDM etc) प्रसव वाली महिलाओं को EDD के पूर्व से ही अस्पताल लाकर उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित किया जाए। सामान्य गभर्वती महिलाओं को आशा की सहायता से ANM द्वारा दूरभाष पर संपर्क स्थापित किया जाए और उन्हें ससमय स्वास्थ्य संस्थान पर प्रसव हेतु लाकर संस्थागत प्रसव कराया जाए।
5. COVID-19 की गंभीरता को देखते हुए Infection control Protocol का पालन करते हुए स्वास्थ्य केन्द्रों में सुरक्षित मातृत्व सेवाएँ प्रदान किया जाए एवं गर्भ निरोधक परामर्श अनिवार्य रूप से दिया जाए।

6. विदित हो कि मार्च–2020 के आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सरकारी संस्थाओं में संस्थागत प्रसव में कमी आई है। संस्थागत प्रसव में कमी के कारण मातृ–मृत्यु अनुपात एवं शिशु–मृत्यु दर बढ़ने की संभावना अधिक होती है, जो अब तक इस दिशा में किए जाने वाले सभी प्रयासों को विफल कर देगा।

अतः, उक्त के आलोक में आप सभी से अनुरोध है कि सभी गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जाँच (ANC) तथा संस्थागत प्रसव हेतु दिये गए दिशा–निर्देश का पालन करते हुए शत् प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(मनोज कुमार)

ज्ञापांक 149 दिनांक 11/4/2020

प्रतिलिपिः

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
2. अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।
3. प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।
4. उप–सचिव सह प्रभारी, रेफरल ट्रान्सपोर्ट, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।
5. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/20

कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/AOCell/01/2020(P-1)/.....37.....

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें,
सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,

पटना, दिनांक : ..03/04/2020

विषय: COVID-19/कोरोना वायरस से जनित रोग के समुचित प्रबंधन हेतु सभी अनुमंडलीय अस्पताल में Isolation Ward का संचालन तथा आपातकालीन सेवा एवं संस्थागत प्रसव की सेवा प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 9664 दिनांक 26.03.2020 एवं पत्रांक 12 (अ०स०को०), दिनांक 01.04.2020

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय उक्त प्रासंगिक पत्रांक 9664 दिनांक 26.03.2020 द्वारा COVID-19 के चिकित्सकीय उपचार हेतु जिलान्तर्गत सभी अनुमंडलीय अस्पताल में उपलब्ध सभी बेड का उपयोग Isolation Ward में करने संबंधी निदेश दिये गये हैं। उक्त पत्र की कंडिका 4 में निदेश दिया गया है कि अनुमंडलीय अस्पताल में पूर्व से भर्ती मरीजों (COVID-19 एवं इससे संबंधित संदेहात्मक मरीजों को छोड़कर), जो सामान्य/स्थिर स्थिति में आ चुके है, उन्हें शीघ्र अस्पताल से मुक्त कर दिया जाये और नये सामान्य/स्थिर मरीजों की भर्ती अनुमंडलीय अस्पताल में नही किया जाये।

2. इसी प्रकार स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 12 (अ०स०को०), दिनांक 01.04.2020 द्वारा बिहार राज्य में विदेश से आए व्यक्ति अथवा COVID-19 Positive के संपर्क में आए अथवा COVID-19 Positive व्यक्तियों के ईलाज हेतु Isolation Centre/Quarantine Centre में रखने के संबंध में निदेश दिये गये हैं।

3. उक्त के क्रम में स्पष्ट करना है कि स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 12 (अ०स०को०), दिनांक 01.04.2020 के अनुसरण में COVID-19 True Positive Asymptomatic को स्वास्थ्य संस्थान से अलग चिन्हित Isolation-cum-Treatment Centre में भर्ती किया जाये। इसके अतिरिक्त COVID-19 True Positive symptomatic मरीज अथवा जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, को जिला से संबद्ध (tagged) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती किया जाये। चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के Isolation Ward में COVID-19 के मरीज/व्यक्ति की संख्या क्षमता से अधिक हो जाने पर जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल के Isolation Ward का उपयोग किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

4. जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल के Isolation Ward में COVID-19 True Positive मरीजों/व्यक्तियों की भर्ती जब तक नही होती है, तब तक अनुमंडलीय अस्पताल में आपातकालीन सेवा एवं संस्थागत प्रसव सेवा पूर्व की भांति संचालित होती रहेगी।

5. COVID-19 True Positive मरीजों/व्यक्तियों के जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किये जाने की स्थिति में संस्थागत प्रसव सहित अन्य आपातकालीन सेवायें स्थगित रहेंगी तथा अनुमंडलीय अस्पताल Dedicated COVID अस्पताल के रूप में कार्य करेगी।

विश्वासभाजन

3/4/2020

(संजय कुमार)

ज्ञापांक.....37..... पटना, दिनांक.....03/04/2020.....

प्रतिलिपि:-

- मुख्य सचिव, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/2020

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग

Scanned with CamScanner